at which it has been provided to the BPL families. Children who are below ten years and are hearing impaired should be provided with cochlear implantation so that they can get hearing back. They should be provided with loans at 25 paise so that they can start some self-employment units and earn their livelihood. They should be provided reservation in promotions and also in judiciary. Sir, I request the Government of India to sympathetically consider their demands so that they can move ahead in the society with dignity and the goal of equality, as enshrined under the Constitution, is achieved. Thank you.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, I associate with it.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I also associate with it.

Exemption on Transportation of Animals during Bakar ED

श्री अबू आसिम आज़मी (उत्तर प्रदेश) **:** थैंक्यू सर। सर, मैं आपका और हाउस का ध्यान एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस मुल्क के अन्दर कानून सबके लिए बराबर है। Slaughtering हर मजहब के लोग करते है। कोई जानवरों को ज़बह करता है, कोई उसे करंट लगा कर मार देता है, कोई direct उसकी पूरी गर्दन निकाल देता है। इस तरह का कानून इस देश के अन्दर है। लेकिन जो कानून बना हुआ है, उसमें बहुत जगह exemption भी मिला हुआ है। आज जब जानवरों को लेकर निकलते हैं, तो इस देश में जो बहुत सारे संगठन हैं, अब बकरीद का मौसम आ रहा है, वे संगठन बकरीद का मौसम आते ही बहुत ज्यादा active हो जाते हैं और जानवरों की गाडियों को रोक जानवर उतार लिए जाते है। इस देश के अन्दर एक लॉ है, Cruelty to Animals Act, 1960, जिसके अनुसार जानवरों को हिफाजत के साथ ले जाना चाहिए। जानवरों की हिफाजत होनी चाहिए, उनके साथ जुल्म नही होना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर slaughtering allowed है। बकरीद में जो जानवर जाते है, अगर उनमें से किसी का पैर टूट गया, किसी का चमड़ा कट गया, हड्डी टूट गई, सींग टूट गई, तो वह जानवर कुर्बानी के काबिल नही रहता। जो व्यापारी उसे ले जा रहा है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, चमड़ा बेचते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर चमड़ा कट गया, तो फिर उसका दाम 70 परसेंट वैसे ही कम हो जाता है। व्यापारी खुद इस बात का ख्याल रखता है कि मैं जिन ट्रकों में जानवर ले जा रहा हूँ, कहीं ज्यादा जानवर हो गए, कहीं जानवर खराब हो गए, सींग टूट गई या उसके अन्दर कोई ऐब निकल गया, तो उस जानवर की कुर्बानी नही होगी, उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसी की आड़ लेकर कुछ संगठन ट्रक से जानवरों को उतार लेते है और उन्हें उतार कर, उनका एक संगठन है 'पंजड़ा पोल', उसके अन्दर जानवरों को ले जाकर रख देते हैं और फिर व्यापारियों से कहते है कि उस पर जितना खर्च हुआ है, वह लाकर दो। फिर उस पर मुकदमा होता है। लेकिन आज तक यह रेकार्ड है कि 'पंजड़ा पोल' से किसी को कोई जानवर वापस नही मिला। सर, मैं कहना चाहता हूँ कि वह संगठन, अगर सड़क पर 5 कुत्ते मर जाएँ, तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन अगर सड़क पर 5 आदमी मर जाएँ, तो उन्हें उसकी फ़िक्र नही रहती है। अल्लाह का करम है, ऊपरवाले की मेहरबानी है कि बर्ड फ्लू में कोई मरा नही। लेकिन जब बर्ड फ्लू आया, तो मुर्गियों को बोरी में भर कर जिन्दा जमीन में डाल दिया गया। कुछ जगह ऐसा वाकया हुआ कि मुर्गियाँ जमीन खोद कर बाहर आ गई। उस पर कोई नही चिल्लाया। सर, आप मुम्बई की रेलवे में जाकर देखें, तो जैसे लोग खड़े होते है, इंसान नही, जानवरों से बुरी हालत रहती है। कोई संगठन इस पर नही चिल्लाता । ...(**व्यवधान**)... सर, मेरी बात खत्म होने दीजिए। जेल के अन्दर, जहाँ बैरक में 60 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 200 लोग रहते है। वे बदन से बदन लगा कर सोते है। इस पर कोई चिल्लाता नही । सर, मेरा यह कहना है कि इस मुल्क में exemption मिला हुआ है। जैसे noise pollution के नाम पर 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर नही चल सकता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से छूट दे सकती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितनी देर चाहो, लाउड स्पीकर चलाओ। इसी तरह से मेरा कहना है कि आज किसान बहुत परेशान हैं। आज जो किसान जानवर पालता है , जब वह बेचारा जानवर लेकर जाता है, तो उसके जानवर रोक लिए जाते है, उसको परेशान किया जाता है। कम-से-कम बकरीद के मौसम में जो जानवर जाते हैं, उन पर exemption मिलना चाहिए। व्यापारी को खुद फिक्र है कि उसके जानवर कहीं खराब तो नही

हो रहे है, उन्हें तकलीफ तो नही हो रही है । ये जो दूसरे संगठन हैं, वे सड़क पर खड़े होकर पुलिस की मदद से जानवर को उतार लेते है, मारते हैं, परेशान करते है । इससे कुर्बानी में बडी दिक्कतें होती है । सर, यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर निकलना चाहिए कि जानवरों को रोकने वाले ये संगठन वहाँ से हटाए जाएँ और कुर्बानी में exemption मिलना चाहिए ।यह मेरी मांग है, ताकि लोग अपने त्योहार को अच्छी तरह मना सकें । शुक्रिया ।

شری ابو عاصم اعظمی "اترپردیش": تھینک یو سر۔ سر، میں آپ کا اور ہاؤس کا دھیان ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتاہوں۔ اس ملک کے اندر قانون سب کے لئے برابر ہے۔ Slaughtering ہر مزہب کے لوگ کرتے ہیں۔کوئی جانوروں کو ذبح کرتا ہے ،کوئی ا سے کرنٹ لگاکر مار دیتا ہے،کوئی ڈائریکٹ اس کی پوری گردن نکال دیتا ہے۔ اس طرح کا قانون اس دیش کے اندر ہے۔ لیکن جو قانون بنا ہوا ہے، اس میں بہت جگہ exemption بھی ملا ہوا ہے۔ آج جب جانوروں کو لیکر نکلتے ہیں، تو اس دیش میں جو بہت سارے سنگھن ہیں، اب بقر عید کا موسم آرہا ہے، وہ سنگھن بقر عید کا موسم آتے ہی بہت زیادا ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی گاڑیوں کو روک کر جانور اتار لئے جاتے ہیں۔ اس دیش کے اندر ایک لاء ہے، Cruelty to Animal Act 1960 جس کے مطابق جانوروں کو حفاظت ہونی چاہئے،ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہئے، یہ بات بلکل صحیح ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہاں پر slautheringallowed ہے۔ بقر عید میں جو جانور جاتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا چمڑا کٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ جو ویاپاری ا سے لے جا رہا ہے، جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں، چمڑہ بیچتے ہیں، ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر چمڑہ کٹ گیا، تو پھر اس کا دام ۷۰ فیصد ویسے ہی کو ہو جاتا ہے۔ ویاپاری خود اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں جن ٹرکوں میں جانور لے جارہا ہوں، کہیں زیادہ جانور ہو گئے، کہیں جانور خراب ہو گئے، سینگ ٹوٹ گئی یا اس کے اندر کوئی عیب نکل گیا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اسی کی آڑ لیکر کچھ سنگھن ٹرک سے جانوروں کو اتار لیتے ہیں اور انہیں اتار کر، ان کا ایک سنگھن ہے، "پنجڑا پول"، اس کے اندر جانوروں کو لے جاکر رکھ دیتے ہیں اور پھر ویاپاریوں سے کہتے ہیں کہ اس پر جتنا خرچ ہوا ہے، وہ لاکر دو۔ پھر اس پر مقدمہ ہوتا ہے۔ لیکن آج تک یہ ریکارڈ ہے "پنجڑا پول" سے کسی کو کوئی جانور واپس نہیں ملا۔ سر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سنگھن اگر سڑک پر ۵ کتتے مر جائیں، تو انہیں اس کی فکر نہیں رہتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے کہ برڈ فلو میں کوئی مرا نہیں۔ لیکن جب بڑ فلو آیا، تو مریغیوں کو بوری میں بھر کر زندہ زمین میں ڈال دیا گیا۔ کچھ جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ مرغیاں زمین کھود کر باہر آگئیں۔ اس پر رکوئی نہیں چالایا۔ سر، آپ ممبئی کی ریلوے میں جاکر دیکھیں، تو جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انسان نہیں،

جانوروں سے بری حالت رہتی ہے۔کوئی سنگھن اس پر نہیں چلاتا...مداخلت... سر، میری بات ختم ہونے دیجئے۔ جیل کے اندر جہاں بیرک میں ۶۰ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں ۲۰۰ لوگ رہتے ہیں۔ وہ بدن سے بدن لگاکر سوتے ہیں۔اس پر کوئی چلاتا نہیں۔ سر، میرا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں exemption ملا ہوا ہے۔ جیسے noise pollution کے نام پر ۱۰ بجے رات کے بعد لاؤڈ اسپیکر نہیں چل سکتا، لیکن سینٹرل گورنمنٹ اپنی طرف سے چھوٹ دے سکتی ہے۔ ۲۶ جنوری اور ۱۵ اگست کو جتنی دیر چاہو، لاؤڈ اسپیکر چلاؤ۔ اسی طرح سے میرا کہنا ہے کہ آج کسان بہت پریشان ہیں۔آج جو کسان جانور پالتا ہے، جب وہ بیچارہ جانور لیکر جاتا ہے، تو اس کے جانور روک لئے جاتے ہیں، اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔کم سے کم بقر عید کے موسم میں جو جانور جاتے ہیں، ان پر exemption ملنا چاہئے۔ ویاپاری کو جود فکر ہے کہ اس کے جانور کہیں خراب تو نہیں ہو رہے ہیں، انہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو دوسرے سنگھن ہیں، وہ سڑک پر کھڑے ہو کر پولیس کی مدد سے جانور کو اتار لیتے ہیں، مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس سے قربانی میں بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ سر، یہاں سے سینٹرل گورنمنٹ کا کچھ آرڈر نکلنا چاہئے کہ جانوروں کو روکنے والے یہ سنگھن وہاں سے ہٹائے جائیں اور قربانی میں exemption ملنا چاہئے۔ یہ میری مانگ ہے، تاکہ لوگ اپنے تہوار کو اچھی طرح منا سکیں۔ شکریہ۔

"ختم شد"

SPECIAL MENTIONS

Demand for immediate steps to extend benefits to all the people included in the BPL in Rajasthan

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के सर्वेक्षण के समय राजस्थान के लिए 17.36 लाख लोगों की सीमा तय की थी और उस समय आर्थिक सामाजिक सूचकांक निर्धारित किए थे । तदनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 के सर्वे में वरीयता क्रम में 17.36 लाख लोगों की तय सीमा तक ग्रामीण बीपीएल परिवारों की सूची जारी कर दी गई ।

सूची में नाम नही आने या गलत नाम आने पर पीडितों द्वारा अपील का प्रावधान भारत सरकार एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमत है । इसके अतिरिक्त सूची में 30 प्रतिशत से अधिक अंतर होने पर कलक्टर स्वयं भी पुनर्सत्यापन कर सकता है । इस सूची में नाम जुड़ने-घटने की इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया है ।

राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूची के विरूद्व 15,69,954 अपीलें दर्ज हुई । इनमें निर्णय के फलस्वरूप वरीयता सीमा में आने वाले 6,10,874 लोगों के नाम जोड़ने एवं 1,88,825 के नाम काटने का निर्णय हुआ । फलस्वरूप चयनित परिवारों की संख्या 17.36 लाख से बढ़ कर 21.58 लाख हो गई । भारत सरकार द्वारा इस वृद्विको स्वीकार नही करके अपनी पूर्व निर्धारित सीमा तक ही लाभविम्त करने का निर्णय से बीपीएल परिवारों का हक छीना जा रहा है । यह अपने ही बनाए नियमों और मानदंडों की अवहेलना है । अत: मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा चयनित समस्त लोगों को लाभविन्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए ।